

घटना घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 91- शनिवार 31- जनवरी 2026,पृष्ठ - 8+4 मूल्य 4 रुपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डक पंजीवन.कं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था : पीयूष गोयल



नई दिल्ली,30 जनवरी 2026। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा में आयोजित आईसीएआई वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स कार्यक्रम में कहा कि भारत का वस्तु और सेवा निर्यात इस वर्ष भी लगातार बढ़ रहा है। 'मुझे विश्वास है कि कड़ी मेहनत के चलते हम अपने ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे और जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।'

38.5 अरब डॉलर पर पहुंचा भारत का निर्यात

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष दिसंबर में देश का वस्तु निर्यात 1.87 प्रतिशत बढ़कर 38.5 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। वहीं, आयात 8.7 प्रतिशत बढ़कर 63.55 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान देश का वस्तु निर्यात 2.44 प्रतिशत बढ़कर 330.29 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि उम्मीद है कि देश का वस्तु और सेवा निर्यात 2025-26 में 850 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर सकता है, जबकि 2024-25 में यह आंकड़ा 825 अरब अमेरिकी डॉलर था।

वकील के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द,कोर्ट ने कहा...पेशेवर काम को डराना-धमकाना नहीं कहा जा सकता

नई दिल्ली,30 जनवरी 2026। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को शुक्रवार को रद्द कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वकील के सलाह देने जैसे पेशेवर काम को डराना या धमकाना नहीं कहा जा सकता। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि बिना ठोस सबूत के अस्पष्ट और बेबुनियाद आरोप भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध नहीं बनाते। शीर्ष कोर्ट ने यौन अपराध से बच्चों का का संरक्षण (पॉक्सो) मामले में आरोपी के चाचा,वकील बेरी मनोज के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। बेंच ने गौर किया कि पीड़िता ने जो बयान दिया था, उसमें बाद में बदलाव आया। पहला बयान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत पुलिस के समक्ष दिया गया था। दूसरा बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई वकील अपने पेशेवर काम में होता है, तो उसे डराने-धमकाने के तौर पर नहीं देखा जा सकता और इस मामले में यह जरूरी तथ्य (कि वकील धमकी दे रहा था) पूरी तरह गायब था।

अजीत पवार की विमान हादसे में हुई मौत की जांच सीआईडी को सौंपी गई

मुंबई,30 जनवरी 2026। महाराष्ट्र सरकार ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान हादसे में हुई मौत की जांच शुक्रवार को सीआईडी को सौंप दी। यह जानकारी गृह विभाग के सूत्रों ने दी। 28 जनवरी को बारामती में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री सहित पांच लोगों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने आज इस मामले की सीआईडी जांच का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद पुणे ग्रामीण पुलिस ने हदसा प्रस्त स्थल को प्रतिबंधित घोषित कर दिया है और सीआईडी टीम मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है। सीआईडी की टीम बारामती हवाई अड्डे पर सुरक्षा खाफियों और बुनियादी ढांचे के मुद्दों की जांच करेगी। इस मामले को शुरू में पुणे ग्रामीण पुलिस संभाल रही थी। सरकार ने पुणे ग्रामीण पुलिस को मामला और अब तक जुटाई गई जानकारी राज्य सीआईडी को सौंपने के लिए कहा है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत आकस्मिक पौर का मामला दर्ज किया था।



राहुल ने स्कार्फ न पहनकर नॉर्थईस्ट का अपमान किया कांग्रेस के शासन में असम की डेमोग्राफी बदली : शाह

गुवाहाटी,30 जनवरी 2026। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर नॉर्थईस्ट का अपमान करने का आरोप लगाया। असम के खानिकर पोड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर विदेशियों सहित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने सम्मान के प्रतीक के रूप में स्कार्फ पहना था,लेकिन राहुल ने इनकार कर दिया था। शाह ने आगे कहा कि राहुल गांधी जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन जब तक बीजेपी सत्ता में है। हमारी पार्टी नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का अपमान बदरिशत नहीं करेगी। गृह मंत्री ने कहा...मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी ने असम को बंदूकें,गोलियां,संघर्ष और युवाओं की मौत के अलावा क्या दिया है। शाह ने कांग्रेस पर घुसपैठ को 'अपने वोट बैंक की राजनीति के हथियार' के रूप में इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया।

शाह बोले...असम में डेमोग्राफिक ट्रेड बदलने पर जोर

शाह ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान असम की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई। घुसपैठियों का आबादी शून्य से बढ़कर 64 लाख हो गई और सात जिलों में घुसपैठिय बहुमत में हो गए। मोदी सरकार राज्य में



शाह ने कहा...असम से राज्यसभा सांसद रहे मनमोहन सिंह भी काम नहीं कर पाए...

केंद्रीय गृह मंत्री ने असम में घुसपैठियों को बसने से रोकने में मिसिंग समुदाय की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा...घुसपैठ को रोकना मिसिंग समुदाय की जिम्मेदारी है। आपको बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। डिब्रुगढ़ और धेमाजी को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल के बारे में बात करते हुए,शाह ने कहा कि यह पूरी दुनिया के सामने भारत की प्रगति का प्रतीक है। उन्होंने कहा...हालांकि,भारत में बहुत कम लोग जानते हैं कि बोगीबील पुल मिसिंग समुदाय के मेरे भाइयों और बहनों की कड़ी मेहनत और पसीने से बनाया गया था। आज,यह पुल देश भर में और विश्व स्तर पर एक नए भारत की सोच का एक शक्तिशाली प्रतिनिधित्व बन गया है।' केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि असम से राज्यसभा सांसद मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन यह पुल अधूरा ही रहा। असम के लोगों ने मोदी जी पर भरोसा किया।

डेमोग्राफिक ट्रेड को उलटने के लिए विभिन्न तरीकों से काम कर रही है। उन्होंने कहा, अगर आप असम में घुसपैठ रोकना चाहते हैं, तो तीसरी बार बीजेपी सरकार चुनें और अवैध प्रवासियों के खिलाफ लड़ाई में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के हाथों को मजबूत करें। असम में दो बीजेपी राज्य सरकारों ने घुसपैठियों के अतिक्रमण से 1.26 लाख एकड़ जमीन मुक्त कराई है।

शाह बोले...असम की वाय यूरोपीय देशों में भेजी जाएगी

शाह ने यह भी कहा... कि कांग्रेस ने असम और उसके वाय उद्योग को बदनाम करने के लिए एक टूलकिट जारी किया था। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते से यह सुनिश्चित होगा कि असम की वाय यूरोपीय देशों में बिना किसी टैरिफ के भेजी जाएगी। शाह ने कहा कि बीजेपी ने पिछले चुनावों में वादा किया था कि उसकी सरकार असम को बाढ़ मुक्त बनाएगी। इस दिशा में कदम 2026 के चुनावों से पहले ही उठाए जा चुके हैं। उन्होंने असम के मतदाताओं से अपील की कि विकास, शांति, सुरक्षा, ओद्योगिक और कृषि प्रगति सुनिश्चित करने और असम को घुसपैठ और बाढ़ से मुक्त बनाने के लिए लगातार तीसरी बार बीजेपी को चुनें।

महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी

राहुल गांधी बोले...राष्ट्रपिता का मंत्र था सत्ता से बड़ी सत्य की ताकत

नई दिल्ली,30 जनवरी 2026।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू,पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर-राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत-शत नमन। पुंज बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा,जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधारस्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। राहुल गांधी ने लिखा कि राष्ट्रपिता ने हमें मूलमंत्र दिया कि सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती है।

जयराम रमेश का बीजेपी सांसद पर तंज

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बीजेपी पर तंज



कसा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बिना नाम लिए पूर्व जज और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय की महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे को लेकर की गई टिप्पणी की आलोचना की। जयराम रमेश ने लिखा कि महात्मा गांधी की हत्या से दो दिन पहले जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद

मुखर्जी को पत्र लिखा था। इसके कुछ महीनों बाद, 18 जुलाई 1948 को सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखा था। इन दोनों पत्रों में स्वयं को राष्ट्रवाद का स्वघोषित संरक्षक बताने वालों पर बेहद गंभीर आरोप है। यह सोचकर हैरानी होती है कि उसी विचारधारा

सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक सोच हैं। वह सोच जिसे कभी एक साम्राज्य ने, कभी एक नफरत की विचारधारा ने और कभी अहंकारी सत्ता ने मिटाने की असफल कोशिश की। मगर राष्ट्रपिता ने हमें आजादी के साथ यह मूलमंत्र दिया कि सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती है। हिंसा व भय से बड़े अहिंसा और साहस। यह सोच मिट नहीं सकती, क्योंकि गांधी भारत की आत्मा में अमर हैं। बापू को उनके शहीदी दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि।

शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है दिन

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि हर साल 30 जनवरी को मनाई जाती है। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को देशभर में शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

योगी 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दें,गाय को गोमाता घोषित करें,वरना मारेंगे सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ पहना : अविमुक्तेश्वरानंद

वाराणसी,30 जनवरी 2026। प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा...मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया। मैंने वह दे दिया। मेरे प्रमाण सच्चे थे,इसलिए उन्हें मानना पड़ा। अब प्रमाण मांगने का समय पीछे हट गया। अब मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। उन्होंने कहा...हम आपको 40 दिन का समय दे रहे। इन दिनों में आप गो-भक्त होने का प्रमाण दीजिए। अगर प्रमाण नहीं दे पाते,तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू,कालनेमि,पाखंडी और ढोंगी हैं। सिर्फ दिखावे के लिए आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मुख्यमंत्री और जगद्गुरु रामभद्राचार्य घेराबंदी करके गोहत्या बंदी की मांग करने वालों पर तरह-तरह के हमले कर रहे। अगर आप सच में हिंदू हैं,तो गो-माता को गाय माता घोषित करें। यूपी से गोमांस का निर्यात बंद करें, नहीं तो गैर हिंदू घोषित कर देंगे।



लखनऊ में जुटेंगे संत,तय करेंगे कौन असली हिंदू...

शंकराचार्य ने कहा...10-11 मार्च को लखनऊ में सभी संत-महंत और आचार्य एकत्र हों। वहां यह तय किया जाएगा कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू हृदय सम्राट है और किसे छत्र हिंदू या नकली हिंदू घोषित किया जाना चाहिए।

अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश करेंगे...

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा...अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। जितने भी हिंदू हैं, उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। यह छल खुद को साधु,योगी,संत और भगवाधारी कहने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी द्वारा किया जा रहा। माघ मेला छोड़ने पर शंकराचार्य ने कहा...माफी मांगने का भी एक तरीका होता है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। प्रशासन हमें लालच दे रहा था कि आप ऐसे नह लीजिए,आपके ऊपर फूल बरसा देंगे। अगले साल के लिए चारों शंकराचार्यों के लिए प्रोटोकॉल बना देंगे,लेकिन हमने नकार दिया। हमने कहा कि जिन संन्यासियों पर आपने लाठी बरसाई, उनसे माफी मांगिए। अगर वे क्षमा कर दें,तो ठीक,लेकिन इस सब के लिए प्रशासन आगे नहीं आया।

मनरेगा की बहाली तक जारी रहेगा आंदोलन : कांग्रेस

नई दिल्ली,30 जनवरी 2026। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की पुनर्बहाली की मांग को लेकर शुक्रवार को यहाँ अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय से गांधी स्मृति तक विरोध मार्च निकाला। पार्टी नेताओं ने एलान किया कि जब तक सरकार मनरेगा को बहाल नहीं करती,तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा।कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन के तहत आयोजित इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पार्टी महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार ने उस मनरेगा को खत्म किया है जो पंचायतों को सशक्त करने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए सिधे पैसा पहुंचाने का जरिया था।उन्होंने कहा कि मनरेगा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी अधिनियम था जो सितंबर 2005 को सर्वसम्मति से पारित हुआ था। इसको बनाने में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का महत्वपूर्ण योगदान था। मनरेगा कानून संवैधानिक हक था, लोगों के पास रोजगार की कानूनी गारंटी थी। इस कानून से पंचायतें मजबूत हुईं। हर परिवार को पहली बार डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचाया गया लेकिन ये कानून रद्द कर दिया गया,क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं चाहते हैं कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ ये कानून ज्यादा समय तक चले। वो नहीं चाहते हैं



कि लोगों को उनका हक मिले। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं,बल्कि देश के करोड़ों गरीबों के रोजगार और सम्मान की गारंटी है। कांग्रेस शासन में गरीबों को अपने गांव में रहकर इज्जत की रोटी कमाने का हक मिला था,जिससे ग्रामीण भारत का विकास हुआ लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस व्यवस्था को चोट पहुंचाई। यह लड़ाई हर उस किसान और मजदूर की है जिसका हक छीना जा रहा है। कांग्रेस के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जो सरकार देश के अन्नदाता और श्रमशक्ति का अपमान करती है वो सत्ता में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। कांग्रेस ने एलान किया कि जब तक सरकार मनरेगा को बहाल नहीं करती,आंदोलन जारी रहेगा।

महात्मा गांधी का संदेश आज भी पूरे देश और दुनिया के लिए है प्रासंगिक : कन्हैया कुमार

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 30 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रेहना फाउंडेशन की ओर से शहर में मौन रैली और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत शाम करीब 4.30 बजे महामाया चौक से गांधी चौक तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा के समापन पर गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

इस अवसर पर जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नम्र किया। इसके पश्चात राजमोहिनी देवी भवन में आयोजित विचार गोष्ठी में उन्होंने अपने विचार रखे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि महात्मा गांधी का संदेश आज भी पूरे देश और दुनिया के लिए प्रासंगिक है। बापू ने सत्य और अहिंसा का जो मार्ग दिखाया, वह केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मंत्र और संकल्प है। उन्होंने कहा कि गांधी के बलिदान दिवस पर अंबिकापुर की धरती से उसी संकल्प को दोहराया जाएगा। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश में लोकतंत्र, जनतंत्र



के रूप में बना रहे और हिंसा तथा गोडसेवादी विचारधारा के बढ़ते प्रभाव को रोकना जाना चाहिए। यही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि गांधी का विचार किसी एक दल या विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरी मानवता की धरोहर है। विचार गोष्ठी में कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, आदित्येश्वर सिंह देव, शफी अहमद सहित कांग्रेस के अन्य नेता, सेवा दल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने महात्मा गांधी के जीवन, उनके संघर्ष और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया।

अभावपि ने जताया विरोध

इधर, कन्हैया कुमार के अंबिकापुर आगमन को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभावपि) के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया। अभावपि कार्यकर्ताओं का कहना था कि कन्हैया कुमार देशविरोधी व्यक्ति हैं और उन्होंने जेएनयू में देशविरोधी नारे लगाए थे, इसलिए वे युवाओं के आदर्श नहीं हो सकते। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मां महामाया की नगरी अंबिकापुर में ऐसे व्यक्ति का स्वागत नहीं किया जाएगा। अभावपि ने स्वयं की स्वामी विवेकानंद के विचारों का अनुयायी बताते हुए कहा कि देशविरोधी सोच रखने वालों को अंबिकापुर के वासी स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि, विरोध के बावजूद मौके पर किसी तरह का प्रत्यक्ष प्रदर्शन या अप्रिय स्थिति देखने को नहीं मिली और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

अंबिकापुर में हुई बैठक, आईडी तिवारी सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मनोनीत

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 30 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

अंबिकापुर स्थित साईबाबा मंदिर प्रांगण में प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना के अंतर्गत सरगुजा संभागीय सर्व ब्राह्मण समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, बैठक में सरगुजा संभाग के सभी जिलों से बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, बैठक का शुभारंभ सुंदरकांड पाठ से किया गया, तत्पश्चात परस्सा पूजन संपन्न कराया गया, इसके पश्चात संभागीय अध्यक्ष के मनोनयन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें सर्वसम्मति से आईडी तिवारी को सरगुजा संभागीय सर्व ब्राह्मण समाज का



अध्यक्ष मनोनीत किया गया, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में संभागीय कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा, प्रस्तावित संरचना के अंतर्गत संभागीय कार्यकारिणी में

उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे तथा प्रत्येक जिले से एक-एक सह-सचिव का चयन किया जाएगा। समाज को संगठित करने का लिया संकल्प- अध्यक्षीय संबोधन में नवनियुक्त अध्यक्ष आईडी तिवारी ने कहा कि वे सरगुजा संभाग के सभी जिलों का दौरा कर ब्राह्मण समाज को संगठित करने का कार्य करेंगे, उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर सामाजिक समरसता, एकता और अनुशासन को मजबूत करने का संकल्प दोहराया, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में समाज को एक मजबूत, अनुशासित और आदर्श संगठन के रूप में विकसित किया जाएगा, जो सामाजिक उत्थान और सकारात्मक दिशा में कार्य करेगा।

नाबालिग लड़की की आत्महत्या के मामले में युवक गरफ्तार

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 30 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

नाबालिग लड़की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। प्रेमी शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया था और बाद में शादी करने से इंकार कर दिया था। इस घटना से क्षुब्ध व प्रताड़ित होकर पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व बतौली थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक नाबालिग लड़की की लाश फांसी पर लटकी हुई आम पेड़ पर मिली थी। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना कर रही थी। विवेचना के दौरान पाया गया कि उमेश यादव नामक युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर व शादी करने का झांसा देकर लड़की से बलात्कार किया था। बाद में वह शादी करने से इंकार कर दिया था। इस घटना से क्षुब्ध होकर व प्रताड़ित होकर पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस ने आरोपी उमेश कुमार यादव पिता राजाराम उम्र 24 वर्ष निवासी मुर्ताखंड चिपरकाया थाना बतौली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 65(1), 64(2)(एम), 107 बीएनएस, 4, 6 पोक्सो एक्ट एवं 3 (2) (1) एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

अंबिकापुर-रायगढ़ मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवक की मौत

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 30 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

अंबिकापुर-रायगढ़ मार्ग पर स्थित लुचकी घाट के पास बेकाबू अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक में तीन युवक सवार थे। जिसमें दो युवक वाहन के पहिए में फंस गए और दोनों को घसितते हुए लगभग 100 मीटर दूर तक ले गया। दोनों युवकों का शव पूरी तरह पीस गया। चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया है। सूचना पर कोतवाली व ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को मरच्युरी भिजवाया। वहीं गंभीर रूप से घायल तीसरे युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार तीन व्यक्ति अंबिकापुर से सीतापुर की ओर जा रहे थे। शाम करीब 6.30 बजे अंबिकापुर-रायगढ़ मार्ग स्थित चुलकी घाट के ऊपर पहुंचे ही थे कि अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में दो युवक वाहन के पहिए में फंस गए, जिसे घसितते हुए लगभग 100 मीटर तक ले गया। वाहन में फंसे रहने व सड़क पर घसिताने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और शव पूरी तरह पीस गया। वहीं तीसरा युवक गंभीर रूप से चख्भी हो गया है। मृतक की पहचान सीतापुर निवासी आदित्य खाखा व अनिल तिकी के रूप में हुई है। सूचना पर कोतवाली व ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के मोबाइल से परिवजन से बात की तो पता चला कि तीनों सीतापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। तीनों अंबिकापुर से वापस पर लौट रहे थे। पुलिस ने दोनों के शव को पीएम के लिए मरच्युरी में रखवा दिया है।



धान खरीदी का समय 15 फरवरी तक बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया चक्काजाम

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 30 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

धान खरीदी का समय-सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लखनपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे-43 पर सैंकेतिक चक्काजाम कर धरना-प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा।

धरना को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार अपने वादों के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत किसान का धान खरीदने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है, जबकि अब भी बड़ी संख्या में किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं। कांग्रेस



कार्यकर्ताओं ने मांग की कि धान खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी की जाए तथा पंजीकृत किसानों का दाना-दाना धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। नेताओं का कहना था कि खरीदी के लिए कम समय मिलने के कारण

किसान मजबूरी में अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को औने-पौने दामों पर बेचने को विवश हो रहे हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि सरकार द्वारा शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा।

सरगुजा में एंटी-रेबीज इंजेक्शन की भारी कमी, नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए : कैलाश मिश्रा

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 30 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के बीच एंटी-रेबीज इंजेक्शन की कमी गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। जिले में प्रतिदिन औसतन 10 से 15 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं। विगत वर्ष लगभग 4649 लोगों को कुत्तों ने काटा, लेकिन इसके बावजूद जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटी-रेबीज टीकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। एंटी-रेबीज इंजेक्शन की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने को तैयार सामाजिक कार्यकर्ता व भाजपा एन जी ओ प्रकोष्ठ के पूर्व जिला संयोजक कैलाश मिश्रा ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। श्री मिश्रा द्वारा बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटी-रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को बाजार से महंगे दामों पर टीके खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। गंभीर मामलों में आवश्यक इम्युनोग्लोबुलिन (आईआरजी) की सुविधा भी



अधिकांश केन्द्रों में उपलब्ध नहीं है। शहरी स्वास्थ्य केन्द्र नवपापरा में भी लंबे समय से एंटी-रेबीज इंजेक्शन की कमी बनी हुई है। इस बीच एक ताजा मामले में तीन एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाने के बावजूद एक व्यक्ति की मौत हो जाने से टीकों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटना के बाद आमजन में भय और असंतोष का माहौल है। इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि सरगुजा जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में गुणवत्तापूर्ण एंटी-रेबीज इंजेक्शन तथा इम्युनोग्लोबुलिन की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि कुत्तों के काटने से पीड़ित मरीजों को समय पर समुचित इलाज मिल सके।

तेज रफ्तार पिकअप उछलकर चलती कार पर गिरी, मचा हड़कंप

—संवाददाता—
सूरजपुर 30 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

जिले में शुक्रवार को एक बेहद अजीबो-गरीब और चौंकाने वाली सड़क दुर्घटना सामने आई है, जिसने राहगीरों और स्थानीय लोगों को दहला कर रख दिया। इस सनसनीखेज हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह तेज रफ्तार में आ रही एक मालवाहक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर उछलती हुई चलती कार के ऊपर जा गिरी है। यह पूरी घटना कुछ ही सेकेंड में घटी, लेकिन इसके परिणाम बेहद गंभीर रहे। जानकारी के अनुसार यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (एनएच-43) पर बिश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एस्सार पेट्रोल पंप के पास हुआ। स्विफ्ट डिजायर कार सूरजपुर से बिश्रामपुर की ओर जा रही थी। जैसे ही कार पेट्रोल पंप की ओर



मुड़ी, उसी समय अंबिकापुर की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही मालवाहक Also Read - कुरुषनार में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बनेगा अतिरिक्त कक्ष पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित हो गई। पिकअप वाहन सड़क पर उछलते हुए सीधे सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार के ऊपर पलट गई। सीसीटीवी फुटेज में हादसे का भयावह दृश्य स्पष्ट रूप से नजर आता है। फुटेज में देखा जा सकता है कि पिकअप वाहन हवा में उछलकर कार के ऊपर

विदाई समारोह के नाम पर यातायात नियमों की अवहेलना पर सख्ती

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 30 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

विगत वर्षों की भाँति वर्तमान वर्ष में भी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो संज्ञान में आए हैं, जिनमें कुछ विद्यालयीन छात्र-छात्राएँ विदाई समारोह के पश्चात विद्यालय से बाहर पथक पाटी का आयोजन करते हुए तथा उत्तेजक एवं अनियंत्रित रूप से दो पहिया एवं

सेकेंडरी विद्यालयों के प्राचायों को निर्देशित किया गया है कि सभी विद्यालयों में विदाई समारोह का आयोजन पूर्णतः मर्यादित, अनुशासित एवं विद्यालय परिसर के भीतर ही किया जाए। विदाई समारोह में विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी अनिवार्य रूप से आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व एवं अनुशासन की भावना विकसित हो

सके। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में विदाई समारोह विद्यालय परिसर के बाहर-जैसे होटल, पार्क, रेस्टोरेंट अथवा अन्य किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर-आयोजित नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों को यातायात नियमों के उल्लंघन, तेज गति, स्टैंट अथवा असुरक्षित वाहन संचालन से दूर रहने हेतु सख्त हिदायत देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

वैध मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन



—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 30 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फॉर्म-7 का कथित दुरुपयोग कर कांग्रेस के परंपरागत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश का आरोप लगाते हुए कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है और चेतावनी दी है कि वैध मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सुनिश्चित तरीके से वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने मांग की कि ऐसे मामलों में शामिल लोगों पर तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अम्बिकापुर

विधानसभा क्षेत्र के उदयपुर तहसील अंतर्गत ग्राम डांडावा, में एक विशेष समूह के करीब 70 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फॉर्म-7 में गलत जानकारी दी गई। आरोप है कि जीवित लोगों को मृत बताया गया और गांव में निवासरत लोगों को बाहर गया दर्शाकर नाम हटाने की सिफारिश की गई। इससे पहले उदारी, बकना, राजा कटेल से भी ऐसी ही बात सामने आई है। कांग्रेस ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि ऐसे कृत्य के लिए कानून में सजा का प्रावधान है। कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखे जाएं तथा झूठी शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करने वालों की जिम्मेदारी तय की जाए। कलेक्टर ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनय शर्मा बंटी, लीमल सेल अध्यक्ष हेमंत तिवारी और यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विकल झा शामिल थे।

जनप्रतिनिधि नहीं जानेंगे जमीनी सच्चाई, तो मितानिन बताएंगी-आंदोलन के मंच से गूजी दो टूक चेतावनी

गांव-गांव की पीड़ा लेकर सड़कों पर उतरीं मितानिनें, मंच से प्रशासन को चेतावनी...

- एक नहीं अनेक हैं समस्याएं: मितानिनों के आंदोलन ने खोल दी सिस्टम की परतें...
- सोनहत में मितानिनों का जनआंदोलन, सरकार और जनप्रतिनिधियों को दिखाया जमीनी आईना...
- जो जनप्रतिनिधि नहीं देख पाए, वह मितानिनों ने मंच से दिखा दिया...
- साल भर चुप्पी, एक दिन विस्फोट: मितानिन आंदोलन में फूटा जनाक्रोश

सरकार की आंखें बंद, मितानिनों की आंखों में गांव का सच

नारे नहीं, आंकड़े लेकर उतरीं मितानिन-सिस्टम की नींद टूटी

सोनहत में मितानिनों का हल्लाबोल स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली और राशन संकट को लेकर विशाल रैली, सम्मेलन में बंद सोनोग्राफी सेवा चालू करने बुलंद हुई आवाज



-राजन पाण्डेय-

सोनहत (कोरिया), 30 जनवरी

2026 (घटती-घटना)।

सम्मेलन के मंच से मितानिन बहनों ने साफ शब्दों में कहा कि यदि जनप्रतिनिधियों को अपने ही क्षेत्र की समस्याएं नहीं पता हैं, तो यह उनकी सबसे बड़ी विफलता है, और अगर वे जमीनी हकीकत से अनजान बने रहेंगे, तो मितानिन उन्हें आईना दिखाने का काम करेगी, मितानिन बहनों ने कहा कि जब वे अपने-अपने गांवों से पूरे साल समस्याएं इकट्ठा कर आंदोलन के मंच पर लेकर पहुंचीं, तब यह स्पष्ट हो गया कि सोनहत क्षेत्र किसी एक समस्या से नहीं, बल्कि दर्जनों जमीनी संकटों से जूझ रहा है, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, राशन, नेटवर्क-ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, जहां अव्यवस्था न हो, मितानिनों ने दो टूक कहा कि वे केवल सरकार की एक मानवय इकाई भर नहीं हैं, बल्कि गांव-गांव की नब्ज पहचानने वाली जमीनी ताकत हैं, वे हर गांव में मौजूद हैं, हर परिवार से जुड़ी हैं और इसलिए उन्हें पता है कि किस घर में पानी नहीं है, किस महिला को इलाज नहीं मिला और किस गांव में आज भी अंधेरा पसरा है, मितानिन बहनों ने मंच से यह भी कहा कि वे पूरे वर्ष अपने काम के साथ-साथ गांव-गांव जाकर समस्याओं का दस्तावेज तैयार करती हैं। यह कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि एक संघर्ष है-जो साल भर चलता है और साल में एक दिन आंदोलन बल्कर फूट पड़ता है, उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यह आंदोलन सिर्फ मांगपत्र

महिला डॉक्टर की अनुपस्थिति बनी बड़ी समस्या...

सम्मेलन में यह भी बताया गया कि सोनहत अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर का पद वर्षों से रिक्त है, ऐसे में प्रसव, स्त्री रोग एवं जटिल मामलों में महिलाओं को बैकुंठपुर या अम्बिकापुर रेफर किया जाता है, मितानिनों का कहना था कि 'जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही महिला डॉक्टर नहीं होगी तो ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित इलाज कैसे मिलेगा?'

नसबंदी और मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर नहीं लगे...

लंबे समय से क्षेत्र में महिला नसबंदी, मोतियाबिंद ऑपरेशन के शिविर आयोजित नहीं किए गए हैं, इससे सैकड़ों मरीज प्रतीक्षा सूची में हैं। मितानिनों ने नियमित विशेष शिविर लगाने की मांग की।

जननी सुरक्षा योजना की राशि अब तक लखित

सम्मेलन में कई मितानिनों ने बताया कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि कई हितग्राहियों को आज तक नहीं मिली है, इससे गरीब परिवारों में नाराजगी बढ़ रही है।

सौंपने तक सीमित नहीं है, यदि शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने अब भी आंखें मूंद रखीं, तो आने वाले समय में यह आवाज और तेज होगी, सड़कों से लेकर सदन तक गूजेगी, मितानिनों ने कहा कि वे आंकड़ों की भाषा नहीं, जमीनी सच्चाई बोलती हैं-और यही सच्चाई आज प्रशासन को सबसे ज्यादा चुभ रही है।

सोनहत अस्पताल की बदहाल व्यवस्था बनी आंदोलन का केंद्र...

सम्मेलन में मितानिनों ने सोनहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली पर खुलकर नाराजगी जाहिर की, वक्ताओं ने कहा कि अस्पताल में सुविधाओं का घोर अभाव है, जिसका सीधा

असर गरीब ग्रामीणों और गर्भवती महिलाओं पर पड़ रहा है, सोनोग्राफी मशीन वर्षों से बंद सबसे गंभीर मुद्दा सोनहत अस्पताल में लंबे समय से बंद पड़ी सोनोग्राफी मशीन को लेकर रहा, मितानिनों ने बताया कि गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच नहीं हो पा रही, मजबूरी में निजी जांच केंद्रों का सहारा लेना पड़ रहा, कई महिलाएं आर्थिक तंगी के कारण जांच ही नहीं करा पातीं मितानिनों ने मांग की कि सोनोग्राफी सेवा प्रतिदिन नियमित रूप से चालू की जाए।

मोबाइल नेटवर्क आज भी सपना

रामगढ़ सहित कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं है। न नेटवर्क है, न इंटरनेट,

नल-जल योजना की जमीनी सच्चाई आई सामने...

सरकारी दावों के विपरीत सोनहत क्षेत्र में नल-जल योजना धरातल पर विफल नजर आई, पाइपलाइन तो बिछ दी गई, नल लगाए गए लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंचा, कई गांवों में टोटियां टूटी हुई हैं, कहीं मोटर खराब है, तो कहीं टंकी अधूरी बनी हुई है, ग्रामीण आज भी हैंडपंप और नदी-नालों पर निर्भर हैं।

वनचंचलों में अंधेरा: सौर ऊर्जा प्लांट बने शोपील...

सोनहत के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में लगाए गए सौर ऊर्जा प्लांट और सोलर लाइटें वर्षों से बंद पड़ी हैं, बैटरियां खराब, पैनल टूटे, मेंटेनेंस पूरी तरह ठप्प, रात होते ही गांव अंधेरे में डूब जाते हैं, जिससे सुरक्षा और आवागमन दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

अमृतपुर से सूततरा सड़क नहीं, तो विकास नहीं...

सम्मेलन में वनांचल की सबसे बड़ी समस्या अमृतपुर-सूततरा सड़क को बताया गया, सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, बरसात में गांव पूरी तरह कट जाते हैं, स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंच कठिन हो जाती है, मितानिनों ने इसे क्षेत्र की जीवनेरेखा बताते हुए तत्काल पक्की सड़क निर्माण की मांग की।

इससे ऑनलाइन सेवाएं बाधित, आपातकालीन कॉल संभव नहीं, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित, ग्रामीणों ने इसे डिजिटल इंडिया के दावों पर सवाल बताया।

पोड़ी ओदारी में राशन संकट...

सम्मेलन में यह भी सामने आया कि पोड़ी ओदारी क्षेत्र में महीनों से शक्कर, चना का वितरण नहीं हुआ है, गरीब परिवारों को अधूरा राशन मिल रहा है। मितानिनों ने दक्षिणों पर कार्रवाई की मांग की।

पूर्व विधायक गुलाब कमरो का सरकार को अल्टीमेटम : मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने मंच से स्पष्ट शब्दों में कहा 'मितानिन केवल स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं, बल्कि ग्रामीण व्यवस्था की नींव हैं।

यदि उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो यह आंदोलन और व्यापक होगा।' उन्होंने ऐलान किया कि सोनोग्राफी और महिला डॉक्टर का मुद्दा स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाया जाएगा, मितानिन मानदेय व सुविधाओं को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के माध्यम से उठाया जाएगा।

जनप्रतिनिधियों ने जताया समर्थन

आशा देवी सोनपाकर (अध्यक्ष, जनपद पंचायत) : 'जब तक स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त नहीं होंगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा।'

पुष्पेंद्र राजवाड़े : 'अमृतपुर-सूततरा सड़क पूरे क्षेत्र की प्राथमिक जरूरत है।'

अविनाश पाठक (सांसद प्रतिनिधि) : 'नल-जल और नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाएं जनता का अधिकार हैं।'

संदीप जायसवाल (अध्यक्ष) : 'मोबाइल नेटवर्क के लिए प्रयास जारी हैं, मितानिन भवन शीघ्र सौंपा जाएगा।'

मितानिनों की 13 तृतीय प्रमुख मांगें

1. सोनहत अस्पताल में सोनोग्राफी सेवा चालू हो
2. महिला डॉक्टर की स्थायी नियुक्ति
3. नसबंदी एवं मोतियाबिंद शिविर
4. जननी सुरक्षा राशि का भुगतान
5. पोड़ी क्षेत्र में शक्कर-चना वितरण
6. दूरस्थ क्षेत्रों में नई राशन दुकान
7. अमृतपुर-सूततरा सड़क निर्माण
8. सौर ऊर्जा प्लांट मरम्मत
9. खराब सोलर लाइट दुरुस्त करें
10. नल-जल योजना की तटकीकी खाशियां दूर हों
11. हर घर जल आपूर्ति सुनिश्चित हो
12. रामगढ़ क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क
13. अधूरी सीसी सड़कें पूर्ण हों

विकासखण्ड स्तरीय सरगुजा ओलंपिक 03 से 06 फरवरी तक होंगे आयोजित

मुख्यमंत्री ने किया सरगुजा ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह (लोगो) एवं शुभंकर 'गजरु' का अनावरण

-संवाददाता-

सूरजपुर, 30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप एवं छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर के निर्देशानुसार सरगुजा ओलंपिक वर्ष 2025-26 का आयोजन सूरजपुर जिले के समस्त विकासखण्डों में किया जाएगा, जिला कलेक्टर एस. जयवर्धन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन में इस बहुप्रतीक्षित खेल महोत्सव की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, विकासखण्ड स्तरीय सरगुजा ओलंपिक 2025-26 का आयोजन 03 फरवरी से 06 फरवरी 2026 तक किया जाएगा, जिसमें जिलेभर के खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

मुख्यमंत्री ने किया प्रतीक चिन्ह एवं शुभंकर 'गजरु' का अनावरण...

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित होने वाले सरगुजा ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह (लोगो) एवं शुभंकर 'गजरु' का विधिवत अनावरण किया, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरगुजा अंचलवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब बस्तर की तरह सरगुजा की खेल प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता दिखाने का सशक्त मंच मिलेगा। यह आयोजन आदिवासी युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगा।

आदिवासी अंचल की खेल प्रतिभाओं को मिलेगा मंच

सरगुजा संभाग अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है, जहां खेलों के क्षेत्र में अपार नैसर्गिक प्रतिभा विद्यमान है। शासन द्वारा सरगुजा ओलंपिक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं वनांचल युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ना, उनकी खेल एवं रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करना, भविष्य के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करना है।

10 से अधिक खेल विधाओं में होंगी प्रतियोगिताएं

सूरजपुर जिले में आयोजित विकासखण्ड स्तरीय सरगुजा ओलंपिक में 10 से अधिक खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी।



मुख्य खेल विधाएं:

- तीरंदाजी (इंडियन राउंड - 30 मीटर एवं 50 मीटर)
- कबड्डी
- बैडमिंटन
- फुटबॉल
- हॉकी
- कुरती
- खो-खो
- वॉलीबॉल
- बास्केटबॉल
- एथलेटिक्स

एथलेटिक्स में होंगी ये स्पर्धाएं

- एथलेटिक्स खेल विधा के अंतर्गत
- 100 मीटर दौड़
- 200 मीटर दौड़
- 400 मीटर दौड़
- लंबी कूद
- ऊंची कूद
- शॉटपुट
- डिस्कस थ्रो
- जैवेलिन थ्रो
- 4x100 मीटर रिले दौड़
- की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

जनभागीदारी से नई ऊंचाइयों को छुएगा सरगुजा ओलंपिक...

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि जिस प्रकार बस्तर ओलंपिक को जनभागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान मिली, उसी प्रकार सरगुजा ओलंपिक भी पूरे अंचल के सहयोग से नई ऊंचाइयों को छुएगा, उन्होंने पंजीयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया कि सरगुजा अंचल के युवा पूरे उत्साह, उमंग और जोश के साथ इस खेल महोत्सव के लिए तैयार हैं।

खेल प्रतिभाओं के लिए मौल का पत्थर बनेगा आयोजन...

सरगुजा ओलंपिक 2025-26 निश्चित रूप से आदिवासी अंचलों की छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाने, ग्रामीण युवाओं को नई पहचान दिलाने, खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा।

कराते प्रतियोगिता के आयु वर्ग

- कराते खेल में निम्न वर्गों में युवावर्ग होंगे:-
- जूनियर बालक वर्ग
- 14-15 वर्ष : 42-47 किलोग्राम
- 16-17 वर्ष : 55 एवं 61 किलोग्राम
- जूनियर बालिका वर्ग
- 14-15 वर्ष : 42-47 किलोग्राम
- 16-17 वर्ष : 53 किलोग्राम
- सीनियर वर्ग
- पुरुष : 60-67 किलोग्राम
- महिला : 55-61 किलोग्राम
- महिला वर्ग के लिए रस्साकसी प्रदर्शनार्थक खेल : रस्साकसी खेल को केवल महिला वर्ग के लिए प्रदर्शनार्थक रूप में शामिल किया गया है, जिसमें...

- जूनियर वर्ग
- सीनियर वर्ग
- के लिए पृथक वेट ग्रुप निर्धारित किए गए हैं।
- कुरती और हॉकी सीधे जिला से संभाग स्तर पर : कुरती एवं हॉकी खेल विधाओं में - दलों की भागीदारी सीधे जिला स्तर से संभाग स्तर पर होगी।
- इन खेलों में प्रतियोगिताएं...
- 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग
- सीनियर वर्ग (कोई आयु सीमा नहीं) में आयोजित की जाएंगी।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में ‘असुरक्षा रैली’ जब हेलमेट नहीं,हौसले पहने गए...

सड़क सुरक्षा माह में बिना हेलमेट का नेतृत्व: नियम भाषणों के लिए,स्टंट सड़कों के लिए...

हेलमेट उतारो, झंडा लगाओ: सड़क सुरक्षा माह में असुरक्षा की रैली

जब हेलमेट से ज्यादा जरूरी हो गया शक्ति प्रदर्शन...सुरक्षा का संदेश या असुरक्षा का प्रदर्शन ?

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में नियमों की खुलेआम उड़ती धज्जियाँ



युवाओं को दिया गया संदेश या जोखिम का प्रशिक्षण ?

भाजपा युवा मोर्चा स्वयं युवाओं का संगठन है,युवाओं से अपेक्षा रहती है कि वे समाज को दिशा देंगे,लेकिन इस रैली ने युवाओं को जो संदेश दिया,वह कुछ ऐसा रहा अगर राजनीतिक झंडा है,तो हेलमेट वैकल्पिक है,यह संदेश खतरनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी।

व्यंग्य यह नहीं कि रैली निकली,व्यंग्य यह है कि सीख गलत मिली

सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य लोगों को डराना नहीं,बचाना है,लेकिन जब नेतृत्व ही यह संदेश दे देखो,हम नियम नहीं मानते,फिर भी चल रहे हैं,तो आम नागरिक यही सीखेगा कि,अगर ताकत है,तो नियम की ज़रूरत नहीं।

हेलमेट सिर पर नहीं,सोच में चाहिए...

यह खबर किसी दल विशेष के विरोध में नहीं, बल्कि उस मानसिकता पर व्यंग्य है जहां नियम भाषणों में अच्छे लगते हैं,लेकिन पालन करते समय बोझ लगते हैं,क्योंकि सड़क पर नेता की बाइक भी उतनी ही फिसलती है,कार्यकर्ता की जान भी उतनी ही कीमती है,और दुर्घटना किसी का झंडा नहीं देखती।

सुरक्षा माह नहीं,साहस प्रदर्शन माह समझ लिया गया...

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य था लोगों को दुर्घटना से बचाना, लेकिन कुछ लोगों ने शायद इसे समझ लिया राष्ट्रीय स्टंट प्रदर्शन माह। बाइकों पर युवा सवार हैं,कुछ आगे बैठे हैं,कुछ पीछे खड़े हैं,और कुछ शायद यह मान चुके हैं कि अगर राजनीतिक झंडा लगा है,तो हेलमेट वैकल्पिक है।

हेलमेट से ज्यादा जरूरी फोटो निकली

कहा जाता है, सिर की सुरक्षा जरूरी है,लेकिन रैली में दिखा कि सिर से ज्यादा सोशल मीडिया की प्रोफाइल सुरक्षित करनी थी,हेलमेट पहनते तो चेहरा नहीं दिखाता,रैल अच्छी नहीं बनती,शक्ति प्रदर्शन फीका लग जाता, तो फिर जोखिम ही क्यों न लिया जाए?



—संवाददाता—

कोरिया,30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

जनवरी का महीना है हर चौराहे पर बैनर टगो हैं ‘हेलमेट पहनें,जीवन बचाएं।’ पुलिस चालान काट रही है, स्कूलों में बच्चों को समझाया जा रहा है, सरकार कह रही है – ‘दुर्घटना नहीं,सतर्कता चाहिए।’ और ठीक उसी समयजकोरिया जिले की सड़क पर एक रैली निकलती है जिसमें हेलमेट नहीं,हौसले पहने गए हैं, नंबर प्लेट नहीं,पहचान काफी है, और नियम नहीं,सिर्फ जोश है। यह



लेख किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है,यह उस मानसिकता के खिलाफ है जहां नियम भाषणों में अच्छे

जहां मिसाल बननी थी,वहां मज़ाक बन गया अभियान

अगर यही युवा मोर्चा हेलमेट पहनकर, नियमों का पालन कर,सड़क सुरक्षा अपनाएं का नारा लगाते हुए रैली निकालता,तो पूरा जिला कहता देखो, नेतृत्व ऐसे होता है,लेकिन अब जिला कह रहा है देखो, नियम ऐसे तोड़े जाते हैं।

दुर्घटना किसी की पहचान नहीं देखती

सड़क पर नेता की बाइक भी फिसलती है, कार्यकर्ता की जान भी जाती है और एम्बुलेंस यह नहीं पूछती कि आप किस संगठन से हैं? दुर्घटना केवल एक बात देखती है लापरवाही।

अंतिम कटाक्ष

सड़क सुरक्षा माह में अगर हेलमेट पहनना जरूरी नहीं था,तो कम से कम यह तो याद रखा जाता कि दुर्घटना कभी चुनाव चिन्ह नहीं देखती।

आखिरी पंक्ति (कटाक्ष में)

सड़क सुरक्षा माह में हेलमेट पहनना जरूरी नहीं था,जरूरी था सिर्फ जोश दिखाना और जोश में जब होश उतर जाए,तो उसे ही शायद आजकल ‘युवा नेतृत्व’ कहा जाता है।

जब सवाल खड़े हों, तो जवाब भी जरूरी हैं,अब सवाल ये नहीं हैं कि...रैली क्यों निकाली गई बल्कि सवाल ये हैं कि...

बिना हेलमेट रैली कैसे निकली?
बिना नंबर प्लेट वाहन सड़क पर कैसे दौड़े?
क्या यातायात पुलिस को जानकारी थी?
क्या कोई चालानी कार्रवाई हुई?
या फिर यह भी ‘विशेष परिस्थिति’ थी?

नियम सिर्फ आम आदमी के लिए होते हैं क्या ?

यह सवाल अब चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक गुंज रहा है, आम आदमी बिना हेलमेट पकड़ जाए ?1000 जुर्माना, बिना नंबर प्लेट ? गाड़ी जब्त लेकिन राजनीतिक रैली में,नियम वैकल्पिक,चालान अदृश्य,कानून मौन शायद कानून की किताब में अब नया अध्याय जुड़ गया है यह नियम लागू नहीं होगा, यदि वाहन पर झंडा लगा हो।

युवा नेतृत्व या जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण ?

युवा मोर्चा युवाओं का संगठन है,युवाओं को दिशा देना इसका उद्देश्य है,लेकिन इस रैली ने युवाओं को यह दिशा दी जोश दिखाओ, होश मत छोओ, यह नेतृत्व कम और जोखिम प्रबंधन में फेल होती ट्रेनिंग ज्यादा लगी। विडंबना देखिए – दो दिन बचे थे- 31 जनवरी को सड़क सुरक्षा माह खत्म होना था,सिर्फ दो दिन शेष थे,लेकिन उससे पहले यह दृश्य आ गया,मानो अभियान खुद कह रहा हो मुझे मज़ाक ही करना था तो मुझे शुरू क्यों किया?

कोरबा में पुल के बाद रेलवे पटरी भी चोरी, करोड़ों की रेल सामग्री गायब

—संवाददाता—

कोरबा,30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कबाड़ चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले 30 टन लोहे के पुल की चोरी के बाद अब चोरों ने रेलवे लाइन को भी निशाना बनाया है। कुसमुंडा से कुचेना-जगाण के बीच नई बिछाई जा रही रेल लाइन से पटरी और अन्य लोहे की सामग्री काटकर ले जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 60 से 65 किलोमीटर के दायरे में करोड़ों रुपए का रेल सामग्री गायब पाई गई है। चोरी की घटनाएं अलग-अलग दिनों में हुई हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि गेवर-पेड़्डा नई रेल लाइन परियोजना का कार्य चल रहा है, जिसे शिवकृति प्राइवेट कंपनी द्वारा बिछाया जा रहा है। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक करीब 2 करोड़ रुपए की रेल सामग्री चोरी हो चुकी है। इस संबंध में कंपनी प्रबंधन ने बांकीमोंगरा और कटघोरा थानों में शिकायत दर्ज कराई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटेल ने बताया कि रेल लाइन निर्माण में चोरी की शिकायत मिली है और पुलिस टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। मामले को जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 17 जनवरी को कोरबा में 40 साल पुराने लोहे के पुल की चोरी का बड़ा मामला सामने आया था। पुलिस ने पुल काटकर चुराने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। छेद्वीपारा इलाके में स्थित पुल से 80 फुट लंबी लोहे की रेलिंग को गैस कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और एलपीजी सिलेंडर के साथ से रातभर में काटकर चुराया गया था। पुल और अब रेल पटरी चोरी की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा किया जाएगा।

कोरबा में बीए छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या,मां की फटकार से थी आहत्

—संवाददाता—
कोरबा,30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान आरती टंडन के रूप में हुई है, जो जांजगीर-चांपा जिले के गुमिया गांव की रहने वाली थी और कोरबा में रहकर बीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। जानकारी के अनुसार, आरती बुधवार को कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली थी,लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और सहेलियों व आसपास के लोगों से पूछताछ की,लेकिन कोई सुराग



नहीं मिला। इस दौरान परिजनों को बांकीमोंगरा के घुड़देवा स्थित पुराने क्रांटर की चाबी गायब मिली। यह क्रांटर आरती के नाना का है,जो एसईसीएल से सेवानिवृत्त कर्मचारी है। आशंका के आधार पर परिजन वहां पहुंचे, जहां कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। आरती के भाई ने दीवार फांदकर अंदर प्रवेश

किया,जहां पंखे से लटका हुआ उसका शव मिला।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को

न्यायालय तहसीलदार भटगांव जिला सूरजपुर छ०ग०

ईशतहार

रा०प्र०क्र० 202601261300030
ब-121 / 2025-2026

विजय प्रकाश प्रति छ०ग०शासन
आम जनता ग्राम भटगांव को सूचित किया जाता है कि आवेदक विजय प्रकाश आ० ख० मुरीत राम उम 30 वर्ष जाति सतनामी, उर्मिला सोनवानी आ० मुरीत राम जाति सतनामी तहसील भटगांव जिला सूरजपुर छ०ग० द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया है कि आवेदकगण के पिता मुरीत राम आ० लिलक भटगांव क्षेत्र भूमिगत खदान भटगांव में कार्यरत थे, जिनका सेवा पुस्तिका क्रमांक नम्बर जे.बी.पी./ 603072 में आश्रितो का पुरकार नाम गुडू आ० मुरीत राम तथा रुक्मनी आ० मुरीत राम नाम दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजो वास्तविक नाम विजय प्रकाश आ० मुरीत राम व उर्मिला सोनवानी आ० मुरीत राम दर्ज है। नाम भिन्नता होने के कारण मुरीत राम जी.पी.एक. पैस प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। आवेदक द्वारा एक ही व्यक्ति का दो भिन्न भिन्न नाम होने से नाम भिन्नता संबंध में प्रमाण पत्र की मांग की गयी हैजिससे उक्त प्रमाण पत्र हेतु मय आवेदन, शपथ पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, सेवा पुस्तिका की छाया प्रति सहित पेश किया गया है। उक्त नाम भिन्नता प्रमाण पत्र संबंधित प्रकरण में जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो वह अपना आपत्ति दिनांक 08/02/2026 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं तदनुसार कार्यवाही कर दी जावेगी। आज दिनांक 24/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार भटगांव (छ०ग०)

सिल

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांक. 202601020700105

विषय:-अ-6 मामले की श्रेणी:- राजस्व सन्-2025-26

नमना कला प.ह.न. 00020 [607/1 (0.003080)] पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार-पवन सोनकर, अनावेदक पक्षकार -देवाशीष,सुभाष चन्द्र मुखर्जी,सुभाशीष,विजनचंद,

ईशतहार

आवेदक पवन सोनकर आ० (०) शिवनाथ सोनकर व अन्य निवासी नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा अपने पिता पति के द्वारा क्रय की गई भूमि ग्राम नमनाकला स्थित भूमि खसरा नंबर 607/1 रकबा 0.376 हे० मेसे 1044 वर्गफीट भूमि के राजस्व अभिलेखो में पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 13-06-2003 के माध्यम से नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 09.02.2026 के पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यह ईशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 15 01/2026 को जारी किया जाता है।

उमेश्वर सिंह बाज तहसीलदार,अम्बिकापुर

सिल

पति को ज़हर देकर मार डाला,बच्चों ने खोली पोल

—संवाददाता—
कोरबा,30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का है,जहां एक महिला ने अपने पति को ज़हर देकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद महिला ने इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की,लेकिन उसकी साजिश उस वक्त बेनकाब हो गई जब उसके मासूम बच्चों ने सच्चाई बयां कर दी।

यह पूरा मामला दर्रा थाना क्षेत्र के लाटा बस्ती का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार,महिला ने पहले अपने पति को ज़हर दिया और फिर खुद ही उसे इलाज के



बहाने अस्पताल लेकर पहुंची। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध आत्महत्या जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन पुलिस की पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। महिला के बच्चों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी मां को पिता को ज़हर देते हुए अपनी आंखों से देखा है। बच्चों के इस बयान के बाद पुलिस ने बिना देर किए

अस्पताल से ही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसका किसी अन्य युवक के साथ प्रेम संबंध था,और इसी वजह से उसने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस को आशंका है कि इस हत्याकांड में महिला का प्रेमी भी शामिल हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी महिला के प्रेमी की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

कार्यालय वनमंडलाधिकारी,जशपुर वनमंडल,जशपुर (छत्तीसगढ़)

नीलाम-सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि जशपुर वनमण्डल के अन्तर्गत काछागरा गम्हरिया (जशपुर) में उपलब्ध निम्नांकित ईमारती एवं जलाऊ काष्ठ का दर्शित तिथि एवं समय में ई-ऑक्शन द्वारा निर्वर्तन किया जावेगा। इच्छुक पंजीकृत व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि ई-ऑक्शन में अवश्य भाग लेंवें । ई-आक्शन की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयन दिवस व समय पर वनमण्डल कार्यालय अथवा काछागरा गम्हरिया से प्राप्त की जा सकती है ।

डिपो का नाम - काछागरा गम्हरिया (जशपुर)

नीलाम दिनांक - 06/02.2026

नीलाम समय - 9.00 बजे प्रातः से

प्रजाति	नीलाम में प्रस्तावित अनुमानित मात्रा						मिश्रित जलाऊ चट्टा,
	नया लाट		पुराना लाट		योग		
	लट्ठा	बल्ली+ डेंगरी	लट्ठा	बल्ली+ डेंगरी	लट्ठा	बल्ली+ डेंगरी	
	घ.मी.	नग	घ.मी.	नग	घ.मी.	नग	
1	2	3	4	5	6	7	8
सागीन	6.555	40	145.292	2659	151.847	2699	पुराना
साप	277.853	101	2275.416	7501	2553.269	7602	116
बीजा, शीशम, खम्हार	1.865	8	19.231	726	21.096	734	नया
अन्य प्रजाति	0.958	11	80.068	1586	81.026	1597	0
चिरान काष्ठ	1.148	0	2.418	0	3.566	0	
योग	288.379	160	2522.425	12472	2810.804	12632	116

उपरोक्त मात्रा में परिवर्तन संभावित है ।

टीप :-

- क्रेताओं को ई-ऑक्शन के पूर्व एम. एस. टी. सी. ई - कॉमर्स पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है ।
- क्रेताओं को ई-ऑक्शन के पूर्व क्रय लाटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है । सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर शेष 15 प्रतिशत ई. एम. डी. की राशि जमा करना अनिवार्य है।
- लाट की थणी एवं फोटो एम. एस. टी. सी. ई-ऑक्शन पोर्टल में अपने आई.डी. से लॉगइन करके देख सकते हैं ।
- ई-ऑक्शन में लॉट क्रय के पश्चात् प्रथम क्रेता को 30 सेकण्ड का समय प्राप्त होगा, उसी लॉट में अन्य क्रेताओं द्वारा 30 सेकण्ड के पूर्व क्रय करने पर 20 सेकण्ड का समय प्राप्त होगा ।

वनमंडलाधिकारी (जशपुर वनमण्डल जशपुर)

जी नंबर-252606334/2



कानून रक्षक ही कानून तोड़े तो कौन बचाएगा संविधान?

अगर जुलूस ही न्याय है तो अदालतों की जरूरत क्या?

अदालत से पहले सजा... बैकुंठपुर में छेड़छाड़ आरोपी का पुलिस ने निकाला जुलूस

जब पुलिस बनी जज... न्यायालय पहुंचने से पहले ही आरोपी को मिली 'सजा'

कानून के नाम पर कानून की हत्या? आरोपी का जुलूस निकालने पर उठे सवाल

संविधान या भीड़तंत्र? बैकुंठपुर की घटना ने पुलिस व्यवस्था पर खड़े किए प्रश्न

दोष साबित होने से पहले हथकड़ी और अपमान...किस कानून में है यह प्रावधान?

न्याय की जगह तमाशा: पुलिस की मौजूदगी में आरोपी का सार्वजनिक जुलूस

-रवि सिंह-

कोरिया, 30 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

एक वीडियो वायरल होता है, पुलिस आरोपी को हथकड़ी पहनाकर सड़क पर घुमाती है, भीड़ मोबाइल निकालती है, सोशल मीडिया पर तालियां बजती हैं, लोग लिखते हैं - ठीक हुआ, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। यही वह क्षण है, जब लोकतंत्र को सबसे ज्यादा डर लगना चाहिए, क्योंकि जब न्याय तालियों पर चलने लगे, तो कानून की जरूरत खत्म होने लगती है।

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से सामने आई एक ताजा घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं, मामला महिला से छेड़छाड़ के आरोप से जुड़ा है, लेकिन इससे भी अधिक चिंताजनक वह तरीका है, जिस तरह पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने से पहले ही सार्वजनिक रूप से अपमानित कर दिया, यह घटना अब केवल एक आपराधिक प्रकरण न रहकर संविधान, नागरिक अधिकार और पुलिसिया अधिकारों की सीमाओं पर बहस का विषय बन चुकी है, बैकुंठपुर की यह घटना केवल एक आरोपी का जुलूस नहीं थी, बल्कि यह उस खरे के संकेत है, जहां न्याय से पहले अपमान, सुनवाई से पहले सजा और अदालत से पहले फैसला तय किया जाने लगा है, लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, पुलिस का

अपराध दर्ज हुआ, फिर अदालत से पहले क्यों दी गई सजा ?
पुलिसिया न्याय या संवैधानिक अपराध ? बैकुंठपुर मामला चर्चा में
छेड़छाड़ केस में कानून लांघ गई पुलिस, आरोपी को बनाया भीड़ का शिकार



नहीं, आज आवश्यकता है कि दोषियों को सजा मिले, पीड़ित को न्याय मिले, लेकिन संविधान और मानव गरिमा सुरक्षित रहे क्योंकि जब कानून को रक्षा करने वाला ही कानून तोड़ने लगे, तब

लोकतंत्र सबसे ज्यादा संकट में होता है। पुलिस को सख्त होना चाहिए लेकिन निष्पक्ष होकर, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए लेकिन अदालत से, क्योंकि जिस दिन कानून तालियों से

चलने लगे, न्याय कैमरे से तय होने लगे और पुलिस जज बन जाए, उस दिन अपराध नहीं बहेगा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, आज सवाल सिर्फ इतना है क्या हम न्याय चाहते हैं, या तमाशा?

अब उठ रहा बड़ा सवाल

क्या पुलिस को अदालत से पहले सजा देने का अधिकार मिल गया है ?

क्या कानून अब भीड़ और कैमरे के दबाव में चल रहा है ?

क्या संविधान केवल किताबों तक सीमित रह गया है? यदि ऐसे मामलों पर समय रहते रोक नहीं लगी, तो कोई भी नागरिक कल इसी व्यवस्था का शिकार बन सकता है।



क्या कानून जुलूस निकालने की अनुमति देता है ?

संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना दोष सिद्ध हुए आरोपी को अपराधी की तरह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, हथकड़ी का प्रयोग केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, किसी भी आरोपी का सार्वजनिक जुलूस निकालना अवैध है, सुप्रीम कोर्ट पूर्व में स्पष्ट कर चुका है कि पुलिस न्यायपालिका का स्थान नहीं ले सकती।

जब भीड़ ताली बजाए और पुलिस जुलूस निकाले... तब संविधान चुप क्यों हो जाता है ?

जनता खुश है... लेकिन क्या यही न्याय है ?

इस मामले में एक बड़ा वर्ग पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह सहमत है, लोगों का गुस्सा जायज है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, न्याय में देरी है, अपराधी अकसर बच निकलते हैं, लेकिन सवाल यह नहीं कि जनता खुश है या नाराज, सवाल यह है क्या कानून जनता की भावना से चलेगा या संविधान से? अगर गुस्से से ही न्याय तय होता है, तो अदालतें बंद कर दी जाएं।

अगर जुलूस सही है, तो हर अपराध में क्यों नहीं ?

यहां सबसे असहज सवाल खड़ा होता है अगर पुलिस द्वारा आरोपी का जुलूस निकालना ठीक है, तो यह नियम सबके लिए क्यों नहीं? अशफाक उल्लू जैसे बड़े मामलों में जुलूस क्यों नहीं निकला? कुलदीप जैसे संगीन अपराधों में सड़क पर घुमाकर क्यों नहीं दिखाया गया? सफेदपोश अपराधियों पर यह साहस क्यों नहीं दिखा? क्यों? क्योंकि वहां सत्ता थी, वकालत थी, पहचान थी, यहाँ कुछ भी नहीं था।

क्या पुलिस केवल कमजोर पर बहादुर है ?

यही वह जगह है जहां पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आती है, क्या कानून अब यह तय करेगा, किसके पास पहुंचे हैं, किसके पास पैसा है, किसके पास राजनीतिक छाया है और उसी हिसाब से तय होगा कि किसका जुलूस निकलेगा और किसे सम्मानपूर्वक थाने से अदालत भेजा जाएगा? अगर ऐसा है, तो इसे कानून मत कहिए... इसे चयनात्मक ताकत कहिए।

न्याय नहीं, प्रदर्शन हो रहा है...

यह भी सच है कि जुलूस से अपराध नहीं रुकते, कैमरे से कानून मजबूत नहीं होता, अपमान से न्याय नहीं मिलता, लेकिन यह जरूर होता है पुलिस का कंधा थपथपाया जाता है, कुछ घंटे की वाहवाही, कुछ हजार लाइक्स, कुछ वायरल वीडियो, न्याय नहीं, सिर्फ प्रदर्शन।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

ऐसे ही एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में दुर्ग जिले के भिलाई थाना क्षेत्र में हुई पुलिसिया कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाया है, Case Title: Sajeet Sao and Others v. State of Chhattisgarh and Others WPCR No. 11 of 2026 इस प्रकरण में आरोपियों का जुलूस निकालने और कथित रूप से प्रताड़ित करने के मामले में हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी (SHO), सीएसपी, पुलिस अधीक्षक, प्रधान आरक्षक, एसआई, आरक्षक सहित 09 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जांच के आदेश जारी किए हैं।

संविधान अपराधियों को नहीं, नागरिकों को बचाता है

अक्सर कहा जाता है संविधान अपराधियों का पक्ष लेता है। यह झूठ है, संविधान अपराधी को नहीं, नागरिक को बचाता है, क्योंकि आज आरोपी नागरिक है, कल वही कानून आपको भी बचाएगा, अगर अदालत से पहले सजा मिलने लगे, तो निर्दोष होने का अधिकार खत्म हो जाएगा।

उर से नहीं, न्याय से समाज चलता है...

इतिहास गवाह है की उर से अपराध कभी खत्म नहीं हुए, फांसी से अपराध बंद नहीं हुए, लाठी से समाज सभ्य नहीं बना, सभ्य समाज बना - निष्पक्ष जांच से, त्वरित न्याय से और समान कानून से बाकी सब सिर्फ तात्कालिक संतोष है।

आज सवाल एक जुलूस का नहीं है...

यह बहस आरोपी की नहीं है, यह बहस पुलिस की भी नहीं है, यह बहस उस सीमा की है, जहां से आगे जाकर कानून भीड़ बन जाता है, आज अगर हम खुश हैं कि उसका जुलूस निकला, तो कल जब बिना सुनवाई हमारा नाम आए - तो हमें बचाने कोई नहीं बचेगा।

आज आरोपी, कल कौन ?

आज जिसे लोग गालियां दे रहे हैं, कल वही तरीका किसी निर्दोष पर भी लागू हो सकता है, क्योंकि जब प्रक्रिया खत्म होती है, तो सुरक्षा भी खत्म हो जाती है, आज भीड़ कह रही है 'इसे घुमाओ।' कल वही भीड़ कहेगी - 'इसे भी घुमाओ।' फर्क सिर्फ नाम का होगा।



छेड़छाड़ का मामला, एफआईआर दर्ज

यहां तक सब ठीक-प्राप्त जानकारी के अनुसार बैकुंठपुर क्षेत्र में एक युवक पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया, पीड़िता ने साहस दिखाते हुए थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवक के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया, अपराध दर्ज होना कानून सम्मत प्रक्रिया है और यह स्पष्ट करता है कि पुलिस ने प्रारंभिक स्तर पर अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन इसके बाद जो दृश्य सामने आया, उसने पूरे मामले को विवादों के घेरे में ला खड़ा किया।

संविधान की रक्षा या भीड़ का मनोरंजन ?

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चिंताजनक पहलू यह रहा कि लोग तमाशबीन बने रहे, वीडियो मनोरंजन की तरह साझा किए गए और संविधान खतरे में है कहने वाले कई वर्ग इस मामले में मौन रहे, विशेषज्ञों का मानना है कि जब न्याय भीड़ के हाथों सौंप दिया जाता है, तब लोकतंत्र कमजोर होता है।

महिला सम्मान जरूरी, लेकिन कानून से समझौता नहीं

यह स्पष्ट है कि महिला से छेड़छाड़ गंभीर अपराध है, दोषी को कठोर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन न्याय की प्रक्रिया कानून से बाहर जाकर नहीं चल सकती, यदि आरोपी दोषी है तो अदालत उसे दंड देगी, लेकिन यदि पुलिस ही अदालत बनने लगे तो यह व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है।

कानून विशेषज्ञों की राय

वरिष्ठ अधिकाओं का कहना है कि इस प्रकार का जुलूस मानवाधिकारों का उल्लंघन है, इससे मुकदमे की निष्पक्षता भी प्रभावित होती है, आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ऐसे मामलों में संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय एवं न्यायिक कार्रवाई का प्रावधान है। जब भीड़ ताली बजाए और पुलिस जुलूस निकाले - तब संविधान चुप क्यों हो जाता है?

न्यायालय पहुंचने से पहले ही सजा

जब पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए ले जा रही थी, उसी दौरान आरोपी को सार्वजनिक रूप से हथकड़ी पहनाई गई, बाजार और सार्वजनिक रास्तों से उसे जुलूस की तरह घुमाया गया, राहगीरों और भीड़ के सामने उसका अपमान किया गया, इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया गया, यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद मामले पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया, वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि पुलिस की मौजूदगी में भीड़ तमाशबीन बनी रही और कथित तौर पर महिला को आरोपी को थपड़ मारने के लिए उकसाया गया।

दोष सिद्ध हुए बिना सार्वजनिक अपमान

कानून के जानकारों का कहना है कि आरोपी दोषी है या निर्दोष, यह तय करने का अधिकार केवल न्यायालय को है, पुलिस जांच कर सकती है, सजा नहीं दे सकती, अदालत से पूर्व इस प्रकार का सार्वजनिक अपमान पूर्व-दंड (Pre-Punishment) की श्रेणी में आता है, यह न केवल आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) बल्कि भारत के संविधान का भी उल्लंघन माना जाता है।

हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा ये ऐसे मामले हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के मूल हॉचे पर सीधा प्रहार करते हैं, कोर्ट ने आगे कहा कि प्रत्येक नागरिक को जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार प्राप्त है, पुलिस हिरासत में किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या अपमान अस्वीकार्य है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की आड़ में नागरिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह पुलिसिया ज्यादाती और कानून के शासन की अवहेलना मानी जाएगी।

CMYK